न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 33/2019 आवन्टन निरस्त

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलिया जिला भीलवाडा	**बनाम**	1. रामचन्द्र पिता किशोर अहीर निवासी देरोली, तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
–प्रार्थी		–विपक्षी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम, 1970</u>

उपस्थित –
1. राजकीय अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. विपक्षी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं – एक तरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांक 15.11.2019

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत विपक्षी के विरूद्ध प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम देरोली पटवार हल्का उमाजी का खेडा की आ.न. 254/214 रकबा 3.00 बीघा भूमि किस्म बारानी तृतीय दिनांक 25.05.1976 को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि में खनन कार्य का मलबा पडा हुआ होने से वर्तमान में भूमि काश्त योग्य नही होकर बेकार पडी हुई है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र दिनांक 18.06.2019 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया तथा विपक्षी को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किए गए। विपक्षी बावजूद सम्मन तामील के उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षी के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी को ग्राम देरोली पटवार हल्का उमाजी का खेडा की आ.न. 254/214 रकबा 3.00 बीघा भूमि किस्म बारानी तृतीय दिनांक 25.05.1976 को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि में खनन कार्य का मलबा पडा हुआ होने से वर्तमान में भूमि काश्त योग्य नही होकर बेकार पडी हुई है। यह आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। प्रार्थी ने अप्रार्थी के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की हैं। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने भूमि आवंटन पत्रावली सं. 79/76 आंवटन दिनांक 25.05.1976 की फोटो

प्रमाणित प्रति संलग्न की एवं पटवार हल्का उमा जी खेडा ग्राम देरोली का मौका पर्चा , ग्राम देरोली की जमाबंदी संवत् 2073–2076, ग्राम देरोली की खसरा गिरदावरी संवत् 2073 की प्रति प्रस्तुत की हैं।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि पटवार हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट ग्राम देरोली में अंकित किया हैं कि ग्राम देरोली के आ.न. 254/214 रकबा 3.00 बीघा भूमि किस्म बारानी तृतीय मौक पर खनन के खड्डे होकर मलबा पड़ा हुआ हैं। मौक पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं हैं। उक्त विवेचन अनुसार आवंटी द्वारा भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) की पालना नहीं की जाना स्पष्ट होता हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) स्वीकार योग्य ठहरता हैं। अतएव–

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) बाबत् भू–आवंटन निरस्तीकरण का स्वीकार कर श्री रामचन्द्र पिता किशोर अहीर सा. देह के नाम आवंटित ग्राम देरोली के आराजी नं. 254/214 रकबा 3.00 बीघा भूमि आवंटन दिनांक 25.05.1976 को खारिज किया जाता हैं एवं तहसीलदार बिजोलियां को निर्देश दिये जाते है कि ग्राम देरोली की आ.न. 254/214 रकबा 3.00 बीघा भूमि किस्म बारानी तृतीय को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार बिजोलियां को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Bhatt
Date: 2019.11.15 13:47:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: